# न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

परिवाद सं० 172/2014

UPRN180005812014

उमाकान्त बनाम विभा शुक्ला

धारा 323,504,506 भा०द०सं०

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

दिनांक – 10/07/2026

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी। परिवादी अनुपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी लगातार विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है। ' ***धारा 256 द०प्र०सं० प्रावधानित करती है कि यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया और अभियुक्त को हाजिरी के लिए नियत दिन या उसके पश्चातवर्ती किसी दिन जिस के लिए सुनवायी स्थगित की जाती है परिवादी हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा। जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवायी स्थगित करना ठीक न समझे।*** ' यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को धारा 138 एन०आई०एक्ट में तलब किया गया और तलबी के उपरान्त परिवादी लगातार अनुपस्थित है। ऐसी दशा में परिवाद अन्तर्गत धारा 256 द०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।

## आदेश

परिवाद सं० 172/2014 उमाकान्त बनाम विभा शुक्ला धारा 323,504,506 भा०द०सं० थाना घाटमपुर, कानपुर नगर अन्तर्गत धारा 256 द०प्र०सं० खारिज किया जाता है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 10/07/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.10 16:33:42 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Ghatampur Kanpur Dehat